राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

शुद्धि पत्र

दिनांक 9 जुलाई, 1982

क्रमांक **968-ज-II-82/23200.**—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 150-ज-II-82/10737, दिनांक 26 मार्च, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 27 अप्रैल, 1982 को प्रकाशित हुई है की दूसरी कतार में मृत्यु तिथि "17 सितम्बर, 1980" की बजाये "17 सितम्बर, 1979" पढ़ी जाये।

दिनांक 29 जुलाई, 1982

क्रमांक **948-ज(I)-82/25278**—श्री भूर सिंह, पुत्र श्री बलजी सिंह, गांव जडवा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 5 फरवरी, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भूर सिंह को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10239-जे० एन०-III-65/8756, दिनांक 18 अप्रैल, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कमला देवी के नाम खरीफ, 1979 में 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1044-ज(I)-82/25282.**—श्री जीवन राम, पुत्र श्री नानगराम, गांव झांकडी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 30 अक्तूबर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जीवन राम को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1208-र-III-67/1164, दिनांक 21 अप्रल, 1967, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती वख्तावरी के नाम खरीफ, 1978, से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 30 जुलाई, 1982

क्रमांक **1132-ज(II)-82/25481.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरयाओ सिंह, पुत्र श्री सूरता, गांव सेहरदा, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षत्र, को रबी, 1977 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1105-ज(II)-82/25485.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती छन्नो देवी, विधवा श्री पूर्ण मल, गांव बलव, तहसील व जिला रोहतक, को रबी, 1976 से रबी, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 4 अगस्त, 1982

क्रमांक **1002-ज(II)-82/26046.**—श्री माडू राम, पुत्र श्री जमना राम, गांव सिवाडी की ढाणी, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 21 जून, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री माडू राम को मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 631-ज-(II)-74/20252, दिनांक 20 जून, 1974 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सोनी के नाम रबी, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।